

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बोर्ड, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक :- राजपत्रित / सामाच्य / प-33 / 2015 /

दिनांक :

- : आटेश :-

निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्रमांक 453 दिनांक 08.07.15 के निरन्तर में निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, बालाना इस्टटट्यूशनल एटिया दूरदर्शन के यास, जयपुर के पत्रांक F-7(10)/SIHFW/PDC/P VII/14-15 दिनांक 11.06.15 के क्रम में 12th Professional Development Course(PDC) at SIHFW जयपुर द्वारा दिनांक 15.07.15 से 22.09.15 तक (10 सप्ताह) के कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को मनोनीत किया जाता है:-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	पद	पदस्थान स्थान
1	डॉ निति गुप्ता	चिकित्सक	जिला चिकित्सालय, धौलपुर
2	डॉ महेश चन्द्र गुप्ता	चिकित्सक	सामुदायिक, केन्द्र, पिलौदा, (सर्वाई माधोपुर)
3	डॉ दल्ला राम	चिकित्सक	प्राथमिक, स्वास्थ्य केन्द्र, जाक, (जयपुर)
4	डॉ हरिश यादव	चिकित्सक	प्राथमिक, केन्द्र, पवरीकला(झुन्झुनू)
5	डॉ विजय मीणा	चिकित्सक	टीबिसी, जिला चिकित्सालय, चूल

उवत सभी चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि उनके कोर्स में भाग लेने हेतु दिनांक 21.07.15 को प्रातः 09:00 बजे निर्धारित स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवायें अन्यथा श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय के पात्र क्रमांक प-6(6)द्वेष्टिनि (पीएल-2) / आरएचएसडीपी. / 07 / 4405 दिनांक 14.06.07 के अनुसार अनुपस्थित रहने पर प्रशिक्षण राशि इनके वेतन से वसूल की जावेगी एवं सीसीए नियमों के अन्तर्गत कारबंधाही भी प्रस्तुवित की जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं की होगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा उक्त मनोनीत प्रशिक्षणार्थीयों को विशेष कठीन प्रशिक्षण होने पर उनके स्थान पर अन्य उस चिकित्सक को मनोनीत करेंगे जिसने पूर्व में यह प्रशिक्षण नहीं लिया हो, साथ ही प्रशिक्षण में जाने वाले चिकित्सकों को यह भी निर्देशित करायें कि प्रशिक्षण के दौरान केवल प्रशिक्षणार्थी हेतु ही आवास ब्यवस्था की गई है। इसलिए अन्य (परिवारिक सदस्य/मित्र) किसी को भी वहां रहने की अनुमति नहीं दी जावेगी।

नोट :- 1. यात्रा भत्ता टैक्सी/स्पेयर की कार इत्यादि का यात्रा भत्ता देय नहीं है।

2. स्थानाचरण होने की स्थिति में मनोनीत में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर।

दिनांक : 20/7/15

क्रमांक :- राजपत्रित / सामाच्य / प-33 / 2015 / ८०५ प्रतिलिपि चिन्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी समिति, प्रमुख शासन सचिव, विकास एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जालाना इन्स्टट्यूशनल एरिया दूरदर्शन के पात्र, जयपुर के पत्रांक F-7(10)/SIHFW/PDC/P VII/14-15 दिनांक 11.06.15 के क्रम में लेख है कि प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षणार्थीयों की सूचना एवं प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षणार्थीयों की सूचना भिजवावें, ताकि उनके विलक्ष अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकें।
3. समस्त संचालन निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-जयपुर/बीकानेर संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 21.07.15 को प्रातः 09:00 बजे प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यपुस्त करें।
4. समस्त संचालन निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन-जयपुर/जोन-जयपुर।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत उक्त चिकित्सकों को प्रशिक्षण में दिनांक 21.07.15 को प्रातः 09:00 बजे प्रशिक्षण स्थान पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित करते हुए कार्यपुस्त करें।
6. संबंधित चिकित्सक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, कम्युटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर लेखने की व्यवस्था करावें।
8. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान जयपुर।

राजस्थान जयपुर विभाग
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर